

कार्यालय,

राष्ट्रीय प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या- प्राविध/परिषद/सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

कार्यालय ज्ञापः

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नोक्त शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1322-JANTA COLLEGE OF PHARMACY

क्र०सं० पाठ्यक्रम का नाम

ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित 22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता क्षमता

1 DIPLOMA IN PHARMACY

60

60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, सेमेस्टर विनियमवली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इजी० पाठ्यक्रमों हेतु ₹0 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु ₹0- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- संस्था को (उ० प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- संस्था में संपुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।

- ✓ संस्था को ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दापर किया जाता है तथा दापर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समस्त उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था को सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जाएगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पू0सं0- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, JANTA COLLEGE OF PHARMACY



(सुनील कुमार सोनकर)

आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।

- ✓ यदि संस्थान का ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, सयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा मिटेशनलय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति स्वधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को सयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश संखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आयोजित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर/सोधे प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रवास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त ऋतावरण उपलब्ध कराने के साथ रेगिड रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/सञ्चालित पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-आवक, फनीषर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के सञ्चालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के अधिक स्थलीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, आवक, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

M... ..

(एफ०आर० खान)

सचिव

दिनांक: 15/11/2022

पृ०सं०- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2022/10332-10340

प्रतिलिपि -

प्रधानाचार्य/निदेशक, JANTA COLLEGE OF PHARMACY

M... ..

(एफ०आर० खान)

सचिव

**कार्यालय
सचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या - प्राथि/परिषद/सम्बद्धता/2021/ 7033
-कार्यालय ड्राप-

लखनऊ दिनांक 19/01/2021

शुभ उद्यम स्वागत के अंतर्गत प्राथमिक एवं माध्यमिक अंतर्गत शिक्षण नई दिल्ली द्वारा प्राथमिक स्तर 2020-21 हेतु नवजातीय विद्यार्थियों को अनुसूचित प्रदान किए जाने के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा परिषद लखनऊ को सम्बद्धता प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 28-12-2020 को अथवा प्राथमिक शिक्षा परिषद लखनऊ को अथवा से परिषद कार्यालय से वेदक प्राप्त हुई। वेदक में समिति द्वारा शुभ उद्यम स्वागत के अंतर्गत प्राथमिक अंतर्गत शिक्षण नई दिल्ली द्वारा सं. 2020-21 हेतु अनुसूचित नई सम्बद्धता को दिए अनुसूचित के अनुसूचित में विचार करना हुए सं. 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुसूचित में सम्बद्धता समिति की वेदक के मत-3 में दिखाने इन माध्यमिक पाठ्यक्रम (प्राथमिक) प्रदान करने के प्रयत्न रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा महान विचार-विमर्श का निर्णय किया गया।

समिति द्वारा प्रकरण पर विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सम्बद्धता जनता कॉलेज ऑफ माध्यमिक नूरपुर, बादपुर बिजनौर एवं परिषद से पूर्व से सम्बद्ध उपरोक्त नाम की सम्बद्धता की भूमि एवं उनकी गांव सचवा की जाच की जाए। तदनुसार अर्थात् कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

दिनांक 28-12-2020 को प्राप्त सम्बद्धता समिति की वेदक में दिखे गए अनुसूचित निर्णय एवं अनुसूचित में उक्त समिति द्वारा दी गई अथवा के अनुसूचित में सुझे यह करने का निर्देश हुआ है कि सम्बद्धता प्राथमिक शिक्षा परिषद (उ.प्र.) लखनऊ द्वारा सं. 2020-21 हेतु प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा परिषद लखनऊ को सम्बद्धता प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	संख्या	सम्बद्धता का नाम	प्राथमिकता का नाम	दिनांक/सं. द्वारा सं. 2020-21 में अनुसूचित प्रदान किया	परिषद द्वारा सं. 2020-21 में अनुसूचित प्रदान किया
1	1122	जनता कॉलेज ऑफ माध्यमिक नूरपुर बिजनौर	बादपुर बिजनौर	28	28

सम्बद्धता हेतु सूची

- ✓ संख्या 2020/परिषद/2020/ दिनांक/2020 द्वारा निर्धारित की गयी सूची का पूर्णतः अंश उपरोक्त।
- ✓ संख्या 2020/परिषद/प्राथमिक शिक्षा परिषद द्वारा 1982 अथवा प्राथमिक शिक्षा परिषद दिनांक/2020 (सं. 2020/परिषद/2020) तथा अन्य प्राथमिक शिक्षा परिषद का अनुसूचित करने तथा शुभ उद्यम स्वागत के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा परिषद लखनऊ को अथवा से परिषद कार्यालय से वेदक प्राप्त हुई। वेदक में समिति द्वारा शुभ उद्यम स्वागत के अंतर्गत प्राथमिक अंतर्गत शिक्षण नई दिल्ली द्वारा सं. 2020-21 हेतु अनुसूचित नई सम्बद्धता को दिए अनुसूचित के अनुसूचित में विचार करना हुए सं. 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।
- ✓ उक्त के अनुसूचित में सम्बद्धता समिति की वेदक के मत-3 में दिखाने इन माध्यमिक पाठ्यक्रम (प्राथमिक) प्रदान करने के प्रयत्न रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा महान विचार-विमर्श का निर्णय किया गया।
- ✓ समिति द्वारा प्रकरण पर विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सम्बद्धता जनता कॉलेज ऑफ माध्यमिक नूरपुर, बादपुर बिजनौर एवं परिषद से पूर्व से सम्बद्ध उपरोक्त नाम की सम्बद्धता की भूमि एवं उनकी गांव सचवा की जाच की जाए। तदनुसार अर्थात् कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- ✓ दिनांक 28-12-2020 को प्राप्त सम्बद्धता समिति की वेदक में दिखे गए अनुसूचित निर्णय एवं अनुसूचित में उक्त समिति द्वारा दी गई अथवा के अनुसूचित में सुझे यह करने का निर्देश हुआ है कि सम्बद्धता प्राथमिक शिक्षा परिषद (उ.प्र.) लखनऊ द्वारा सं. 2020-21 हेतु प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा परिषद लखनऊ को सम्बद्धता प्रदान की जाती है -

(Handwritten signature)

